

पटना में दिनांक-27 दिसम्बर, 2019 शुक्रवार को अपराहन 06:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भागलपुर तथा मुजफ्फरपुर के लिए चालक के कुल-12 (बारह) अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | बिहार सिविल सेवा (न्याय शाखा) (प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2019 की स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

विधि विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | न्यायमंडल, कैमूर, भभुआ के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय, मोहनियाँ के एक अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ACJM) के न्यायालय हेतु विभिन्न कोर्ट के अराजपत्रित कर्मियों के कुल-12 (बारह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

वित्त विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | राज्य के बाहर देश के अन्य 'X' श्रेणी के महानगरों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त/कार्यरत विभिन्न कोर्ट के राज्य कर्मियों तथा वेतन स्तर (-1) के कर्मियों के लिए अनुमान्य पुनरीक्षित भत्तों की दर निर्धारण के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 5. | डा० वीरेन्द्र कुमार चौधरी मधुकर, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मशरख, सारण को दिनांक 16.08.2001 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 6. | डा० संतोष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शेखपुरा को दिनांक 18.06.08 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

स्वास्थ्य विभाग

7. डा० प्रकाश कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गगरी, शेखपुरा को दिनांक 20.08.06 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 7. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

8. डा० प्रेमशंकर, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्हीपुर, साहेबपुरकमाल, बेगूसराय को दिनांक 26.02.11 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 8. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9. डा० विजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिलसा, नालंदा को दिनांक 24.07.2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 9. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

10. डा० अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरियरी, शेखपुरा को दिनांक 19.03.10 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 10. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

11. नवादा जिलान्तर्गत नरहट में राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा के निर्माण कार्यो का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 36.35 करोड़ (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र का पुनरीक्षित योजना लागत रू० 45.1595 करोड़ (पैंतालीस करोड़ पन्द्रह लाख पंचानवे हजार रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 11. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

12. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 77 (2) के तहत दिनांक 31.12.2019 को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्तधारियों की बंदोबस्ती अवधि को दिनांक 31.10.2020 अथवा नये बालू बंदोबस्तधारियों को पर्यावरण स्वीकृति उपरांत कार्यादेश निर्गत करने की तिथि जो पहले हो, तक अवधि-विस्तार इस वर्ष के बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ करने की स्वीकृति के संबंध में। 12. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

13. डा० निलेश कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरौल, दरभंगा को दिनांक 29.6.11 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 13. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

14. डा० प्रभाष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मशरक, सारण को दिनांक 16.08.2001 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 14. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

15. डा० इन्द्रदेव सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खखई, किशनपुर, सुपौल को दिनांक 07.06.2005 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 15. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

16. डा० मो० तौफिक अहमद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोरैया, सारण को दिनांक 01.04.1999 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 16. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

17. डा० महेश प्रसाद पासवान, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरायगढ़, सुपौल को दिनांक 21.09.2008 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 17. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

18. डा० मो० अमानुल्लाह अंसारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगोई, सारण को दिनांक 01.11.2000 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 18. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. डा० जयनारायण प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, छपरा को दिनांक 15.03.2001 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 19. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

20. डा० मनीन्द्र कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवानीपुर, बरारी, कटिहार को दिनांक 22.08.10 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 20. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

21. डा० उपेन्द्र प्रसाद मंडल, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवानीपुर, पूर्णियाँ को दिनांक 04.09.2007 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 21. स्वीकृत।